# GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

No. E(D&A) 2014 GS1-2

New Delhi, 12/04/2016

The General Manager(P) All Indian Railways and Production Units etc. (As per standard list).

Sub: The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 – Submission of declarations of assets and liabilities by the Railway Servant

\*\*\*\*

Attention is invited to Ministry of Railway's letter of even number dated 12.10.2015, whereby Department of Personnel and Training's O.M. No. 407/12/2014-AVD-IV(B) dated 11.10.2015 was circulated, extending the last date for filing the returns under the Public Servants (Furnishing of Information and Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, to 15.04.2016. This date was further reiterated vide this Ministry's letter of even no. dated 05.04.2016.

- 2. In this regard, the Department of Personnel and Training has amended the aforesaid rules to extend the last date for filing of returns from 15.04.2016 to 31.07.2016, vide their notification No. G.S.R. 414(E) dated 11.04.2016. A copy of the aforesaid notification is enclosed.
- 3. Railways etc. may ensure that all officers and staff in their organisation file the said declarations/returns in the prescribed proforma within the revised time limits.
- 4. Please acknowledge receipt.

DA: As above

(S. Modi) Dy. Director Estt. (D&A) Railway Board भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डी एण्ड ए) 2014 जीएस1-2

नई दिल्ली, दिनांक 12.04.2016

महाप्रबंधक (कार्मिक) सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि (मानक सूची के अनुसार).

विषय : लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 - रेल सेवकों द्वारा परिसंपत्तियों और देयताओं के बारे में घोषणा प्रस्तुत करना

आपका ध्यान रेल मंत्रालय के दिनांक 12.10.2015 के समसंख्यक पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके तहत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 11.10.2015 का कार्यालय ज्ञापन सं 407/12/2014-ए.वी.डी.-IV (बी) परिपित्रत किया गया था जिसमें लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणीयां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के तहत घोषणा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.04.2016 तक बढ़ाई गयी थी. रेल मंत्रालय के दिनांक 05.04.2016 के समसंख्यक पत्र द्वारा इस तिथि की पुनरावृत्ति की गयी थी.

- 2. इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिसूचना सं. सा. का. नि. 414 (अ) द्वारा उपरोक्त नियमों को संशोधित करते हुए उक्त नियमों के तहत घोषणा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15.04.2016 से बढाकर 31.07.2016 कर दिया है. उक्त अधिसूचना की प्रति संलग्न है.
- 3. रेलें आदि यह सुनिश्चित करें कि उक्त घोषणाएँ/रिटर्न उनके संगठन के सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित फार्म में संशोधित समय-सीमा के भीतर जमा करें।
- 4. कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त

श्मिन्द्र मोदी

(एस. मोदी)

उप निदेशक स्था. (डी एण्ड ए)

रेलवे बोर्ड



#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 261]** No. 261] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2016/चैत्र 22, 1938

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2016/ CHAITRA 22, 1938

## कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2016

सा.का.िन. 414(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ड) के साथ पठित धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) संशोधन नियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के नियम 3 के उपनियम (2) में,—
  - (क) पहले परंतुक में "15 अप्रैल, 2016 को या उससे पूर्व" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 जुलाई, 2016 को या उसके पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
  - (ख) दूसरे परंतुक में "15 अप्रैल, 2016 को या उससे पूर्व" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 जुलाई, 2016 को या उसके पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (बी)]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

1786 GI/2016 (1)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 501(अ), तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका अधिसूचना सं. सा.का.नि. 638(अ), तारीख 8 सितंबर, 2014, सा.का.नि. 918(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2014, सा.का.नि. 322(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015 और सा.का.नि. 536(अ), तारीख 3 जुलाई, 2015 और सा.का.नि. 776(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था।

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

## (Department of Personnel and Training)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2016

- G.S.R. 414(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (m) of sub-section (2) of section 59 read with section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, namely:—
  - 1. (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Amendment Rules, 2016.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, in rule 3, in sub-rule (2),—
  - (a) in the first proviso, for the words and figures "on or before the 15th day of April, 2016", the words and figures "on or before the 31st day of July, 2016" shall be substituted;
  - (b) in the second proviso, for the words and figures "on or before the 15th day of April, 2016", the words and figures "on or before the 31st day of July, 2016" shall be substituted.

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV (B)]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 501(E), dated the 14th July, 2014 subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 638(E), dated the 8th September, 2014, G.S.R. 918(E), dated the 26th December, 2014, G.S.R. 322(E), dated the 27th April, 2015, G.S.R. 536(E), dated the 3rd July, 2015 and G.S.R. 776(E), dated the 12th October, 2015.